International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

बाल श्रम पर संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावो का अध्ययन

PRIYANKA KUMARI
RESEARCH SCHOLAR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR RAJASTHAN

DR HARIKRISHAN
PROFESSOR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR RAJASTHAN

सारांश

बाल श्रम एक बीमारी है जो हमारे लाखों बच्चों के बचपन को धीरे-धीरे खा रही है। बच्चों के हितो और संरक्षण का मामला भारत के संविधान में निहित है। बाल श्रम बच्चों के मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। बाल श्रम को रोकने के लिए अनेक भारतीय दंड विधान भी बनाये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम नहीं कराया जायेगा, विशेषकर ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, किन्तु आज इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बाल श्रम (निवेष एवं विनियम) अधिनियम 1986 खतरनाक व्यवसायों में कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाता है। गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक सामंजस्य का अभाव, पंरपरागत व्यवसाय, बढ़ता औद्योगिकीकरण तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव बाल मजदूरी के प्रमुख कारण हैं। बाल श्रम को रोकने के लिए भी सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों के समन्वित साथ की जरूरत है। बाल शिक्षा के अभाव में देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना करना निरर्थक है। बच्चे देश, राष्ट्र व समाज के निर्माता होते है अतः देश व समाज का दायित्व होता है कि वह अपनी अमूल्य निधि को सहेज कर रखे। इसके लिए आवश्यक हैं कि बच्चों की शिक्षा, लालन-पालन, शारीरिक, मानसिक विकास, समुचित सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाये। बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। गरीब बच्चों का जीवन भी अत्यधिक शोषित है। छोटे-छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम हेतु मजबूर हैं। जो समाज अपने बच्चो के लिए संवेदनशील नही है वह अपने राष्ट्र के भविष्य के प्रति कभी गम्भीर नहीं हो सकता।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

मुख्यशब्द- बाल श्रम, संवैधानिक प्रावधान, पंरपरागत व्यवसाय, पारिवारिक सामंजस्य, गरीबी, बेरोजगारी

प्रस्तावना

देश के वर्तमान आंकड़े बताते है कि अपने देश की कुल जनसँख्या का एक बड़ा हिस्सा बच्चों और युवाओं का है . साथ ही साथ अपने देश में उपलब्ध कुल श्रम शक्ति का लगभग 3.6 फीसदी हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है. ये बड़ा ही चौकाने वाला आंकड़ा है कि हमारे देश में हर दस बच्चों में से 9 बच्चे कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम कर रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार ये बच्चे लगभग 85 फीसदी पारंपरिक कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं, जबकि 9 फीसदी से कुछ कम उत्पादन, सेवा और मरम्मती कार्यों में लगे हैं. सिर्फ 0.8 फीसदी कारखानों में काम करते हैं. ऐसी स्तिथि कि गहराई में यदि जाया जाये तो इसके पीछे मूल समस्या गरीबी और अशिक्षा की है . बच्चों की शिक्षा के मामले में हमारा देश आज भी विकासशील देशों की श्रेणी में नीचे ही आता है . यद्यपि ये संतोषजनक और कुछ रहत देने वाली बात है कि इस स्तिथि में तेजी से परिवर्तन हो रहा है . बाल श्रम के और भी अनेक कारक है . लेकिन देश की सरकार ने उन कारकों के मद्देनज़र ही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) जैसे महत्वपूर्ण क़दम उठाए हैं. बाल मजदूरी को कम करने या इसे जड़ से ही समाप्त करने के लिए इस परियोजना ने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं. इस परियोजना के तहत हज़ारों बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है. साथ ही इस परियोजना के तहत चलाए जा रहे विशेष स्कूलों में उनका पुनर्वास भी किया गया है. क्योंकि ऐसे बच्चों के अभिभावकों की समस्या ये है कि अगर बच्चे कमाई नहीं करेंगे तो उनके परिवार का खर्च नहीं चलेगा और उन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा .इस परियोजना के अंतर्गत खोले गए स्कूलों में ऐसे बच्चों का एडमिशन कराया जाता है . इन स्कूलों के पाठ्यक्रम भी विशेष प्रकार के रोजगारोन्मुख होते हैं, ताकि आगे चलकर इन बच्चों को मुख्यधारा के विद्यालयों में प्रवेश लेने में किसी तरह की परेशानी न हो. ये बच्चे इन विशेष विद्यालयों में न सिर्फ बुनियादी शिक्षा हासिल करते हैं, बल्कि उनकी इच्छा, रुझान और रुचि के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत इन बच्चों के लिए नियमित रूप से खानपान और

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

चिकित्सकीय सहायता की व्यवस्था है. साथ ही इन्हें इनकी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सौ रुपये मासिक वज़ीफ़ा दिया जाता है.हज़ारों बच्चे मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, इस परियोजना के माध्यम से हज़ारों बच्चों को लाभ दिया जा चुका है लेकिन अभी भी अधिकांश बच्चे बाल मज़दूर की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं. समाज की बेहतरी के लिए इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें इस समस्या का पूर्ण समाधान करना हैं तो हमें इस पर गम्भीरता से विचार करने की ज़रूरत है. इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम 14 साल से कम उम्र के बाल मज़दूरों की पहचान कैसे करें . आख़िर वे कौन से मापदंड होने चाहिए , जिनसे हम 14 साल तक के बाल मज़दूरों की पहचान सही तरीके से कर सकें और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर मानकों के अनुरुप हो . बहुत से माता-पिता स्वयं ही बच्चों को काम करने की छूट देते है , या यूँ कहें कि उनको मजबूरन छूट देनी पड़ती है क्योंकि उनकी भूख का सवाल होता है . माता-पिता द्वारा काम पर लगाए जाने वाले ऐसे बच्चों की संख्या भी काफ़ी अधिक है. इन बच्चों को छोटी उम्र में ही काम पर लगा दिया जाता है और ऐसे लोगों की वजह से ही इन बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ता है. हमें ऐसी मानसिकता पर भी रोक लगाने की जरुरत है, बाल मजदूरों की पहचान के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या आती है उम्र के निर्धारण की. इस परियोजना ने इस दिशा में भी अच्छा काम किया है , इसके माध्यम से लोगों में ये जागरूकता अवश्य आई है कि अब हर कोई जानने लगा है कि 14 साल के बच्चे से काम कराना अपराध की श्रेणी में आता है. सबसे महत्वपूर्ण है सोच में बदलाव जबतक सोच में परिवर्तन नहीं होगा तबतक इस समस्या का स्थाई समाधान निकल पाना संभव नहीं है . इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बाल श्रम की समाप्ति के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ सामाजिक संगठनों के समन्वित साथ की सख्त जरुरत है

बाल श्रम रोकने के उपाय एवं प्रयास

1. चाइल्ड हेल्प लाइन : संकटग्रस्त, बेसहारा, लावारिस बच्चों की सहायता हेतु एक चाइल्ड लाइन की स्थापन की गयी है जो एक विशेष नि:शुल्क टेलीफोन नम्बर 1098 पर आधारित 24 घंटे कार्यरत चाइल्ड लाइन वर्तमान में देश के 73 शहरों मे कार्यरत है।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

जिसका उद्देश्य 0-18 वर्ष तक के संकट ग्रस्त बच्चों की तत्काल सहायता के अतिरिक्त ऐसे बच्चों की समाज में पुनस्र्थापना व पुनर्वास के प्रयास करना भी है। इन्ही प्रयासों में बाल श्रम उन्मूलन हेतु पैरोकारों, जन सुनवाई, व बाल श्रमिकों की रिहाई है।

2. चिल्ड्रेन इन नीड आफ केयर एण्ड प्रोटेक्शन: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की यह योजना विशेष रूप से उन बच्चों के लिये है जो घरों, ढाबों व मोटर गैराजों में कार्यरत है। योजना के तहत मुख्य धारा से जोड़ने वाली शिक्षा योजनाओं प्रशिक्षण, चिकित्सीय सहायता योजना आदि का प्रावधान है।

3. सेन्ट्रल एडाप्सन रिसोर्स एजेन्सी 1990 : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तहत गठित एक स्वायतशाषी संस्था है। ये संस्था बेसहारा बच्चों को गोद लिए जाने की प्रक्रिया के नियमन व सुचारू बनाने के लिये जिम्मेदार है।

4. बाल श्रम पर राष्ट्रीय स्रोत केन्द्र 1993 : इस राष्ट्रीय स्रोत केन्द्र ने बाल मजदूरी पर एक महत्वपूर्ण डाटाबेस तैयार किया है और अब यह बाल श्रम कार्यक्रमों को लागू करने में श्रम मंत्रालय को सहयोग पहुंचा रहा है। इस केन्द्र की दो अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ है : अनुसंधान एवं प्रशिक्षण देने के साथ बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिये कारगर योजना को सुझाव देना है।

5. आश्रय गृह 2000 : किशोर न्याय अधिनियम (केयर एण्ड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) कानून के तहत कार्यरत आश्रय गृह दो प्रकार के बच्चों को आश्रय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है जो (1) संकट ग्रस्त बच्चे। (2) काननू के विरूद्ध कृत्यों के लिप्त बच्चे।

6. सर्व शिक्षा अभियान 2001-02 : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की यह योजना बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है एवं 06-14 वर्ष के आयु के सभी बच्चे को 2010 तक यह सुनिश्चित करना था कि सभी बच्चे शिक्षा जारी रखने के साथ लड़के एवं लड़कियों के बीच अन्तराल और सामाजिक वर्ग विशेषताएं समाप्त हो।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

7. इण्डस बाल श्रम परियोजना 2004 : बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु भारत-अमेरिका सहयोग के अन्तर्गत जारी संयुक्त वक्तव्य (अगस्त 2000) की फालोअप कार्यवाही के रूप में चलाई जा रही है। इस परियोजना की शुरूआत 10 फरवरी 2004 में की गयी इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 80,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है।

8. राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2005 : इस कार्य योजना के बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्र व राज्य स्तरों पर बाल आयोग व बाल न्यायालयों के गठन का प्रावधान है।

बाल श्रम पर आयोग एवं समितियां

1. राजकीय श्रम आयोग 1881 : अंग्रेज सरकार द्वारा मजदूरों के लिए गठित प्रथम आयोग बनाया था जिसकी अध्यक्षता विण्टले ने किया था। इसमें बाल श्रमिकों के व्यापक इस्तेमाल को एक बुराई के रूप में चिन्हित किया गया था।

2. धातु उद्योग से सम्बन्धित आयोग 1906 : इसके अन्तर्गत बच्चों, औरतों की दिन एवं रात में कार्य पर लगाने के परीक्षण हेतु आयोग का सृजन किया गया।

3. कारखाना आयोग 1907 : इसका उद्देश्य उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों की दशा पर नियंत्रण करना था।

4. श्रम पर शाही आयोग 1929 : इस आयोग ने देश के विभिन्न हिस्सों में बीड़ी, कपड़ा, कालीन, माचिस तथा अन्य उद्योगों में बाल श्रम की मौजूदगी की जानकारी दी। आयोग ने सिफारिश की कि 10वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर कानूनी रूप से प्रतिबंध हो और काम करने वाले सभी व्यक्तियों का नाम वेतन रजिस्टर में चढ़ाया जाए।

5. राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग 1979 : इसके अन्तर्गत स्पष्ट रूप से प्राकृतिक विकास व शिक्षा के विषय को गंभीर माना है। तथा सातवीं योजना में बच्चों को कार्यस्थल में ही अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की है।

6. राष्ट्रीय बाल आयोग 2003 : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तर्ज पर देश में

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

एक राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन किया गया है जो बच्चों के विकास सम्बन्धी योजनाएं बनाएगा। आज पर्यटन के नाम पर बच्चों को बाल वेश्यावृत्ति में भी फंसाया जा रहा है। इस तरह की अनेक समास्याओं का निदान करना आयोग का कार्य है जिससे बच्चों का सर्वागीण विकास संभव हो सके।

7. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 : यह आयोग काम पर रखने के दौरान बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें आने पर सम्बद्ध विभाग पर बाल श्रमिकों के बचाव और रिहाई के लिए दबाव डालता है। यह बाल श्रमिकों के शोषण पर सार्वजानिक सुनवाई आयोजित करता है तथा रिहा किए गये बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने को कहता है।

8. भारतीय कारागार समिति 1919-20 : इसका उद्देश्य युवा अपराधियों को अलग से उपचार की व्यवस्था पर बल दिया जिसका प्रमुख उद्देश्य बालकों के संरक्षण तथा युवा अपराधियों को न्याय संगत मार्ग दर्शन प्रदान करना था।

9. श्रम विधान समिति 1944 : इस समिति ने सिफारिश की कि- बाल मजदूरों को काम पर लेने से रोकने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं, वे पर्याप्त नहीं है। औद्योगिक रोजगार से बच्चों को अलग करने के लिए आवश्यक सकरात्मक उपाय किए जाएँ।

10. श्रम जांच समिति 1946 : इसके अन्तर्गत बालकों को रोजगार में प्रतिबंध से सम्बन्धित कानूनी रूपों का पालन न करके पर दण्ड का न देना पाया गया।

11. बाल श्रम पर हरबंश सिंह समिति 1977 : इसने अपने प्रतिवेदन में बालकों में नियोजन की मौजूदा कानूनी संरचना बिखरी हुई और टुकड़ों में बंटी हुई है। इस समिति ने एकल स्वरूप के कानून बनाने की सिफारिश की है।

12. गुरूपदस्वामी समिति 1979: इस समिति ने सिफाारिश की, कि (क) बाल श्रम सलाहकार परिषद् की स्थापना की जाए, (ख) रोजगार में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु तय की जाए, (ग) काम के घंटे, काम की स्थितियों आदि निश्चित करते समय 'बालक और 'किशोर की समान परिभाषाएँ स्वीकार की जाएँ, (घ) कानूनों को लागू करने की व्यवस्था मजबूत की जाए; तथा (च) एक कारगर शिक्षा नीति तैयार की जाए।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

13. सनत मेहता समिति 1986: इसने रोजगार में बच्चों के प्रवेश के लिए समान आयु की जरूरत पर बल दिया। यह समिति काम के साथ शिक्षा को जोड़ना चाहती थी।

14. बाल श्रम तकनीकी सलाहकर समिति 1886: इस समिति का उद्देश्य है कि बच्चों के कारखानों या खदानों में या हानिकारक रोजगारों में कार्य न करने दिया जाए। जहां पर बच्चे सामान्य कार्यो में कार्य कर रहे हो तो वहां पर सुनिश्चित किया जाय कि कार्य बाल श्रम तकनीकी सलाहकर समिति के दिये गये निर्देशों के अनुरूप हो रहा है।

15. केन्द्रीय बाल श्रम अनुश्रवण समिति : इस समिति का उद्देश्य राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं से सम्बन्धित सभी प्रकार के पर्यवेक्षण मूल्यांकन कर उनका अनुश्रवण करने का उत्तर दायित्व है।

16. बाल श्रमिक प्रकोष्ठ 1990 : श्रम मंत्रालय तथा यूनीसेफ की सहायता से राष्ट्रीय श्रम संस्थान में एक बाल श्रम सेल खोला गया जिसका उद्देश्य बाल श्रमिकों को सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करना तथा उसकी मुक्ति हेतु प्रयास करना है।

बाल श्रम पर सरकार की नीति

बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई वैधानिक नीति में निम्न कदम उठाए गए:

एक विधायी कार्य-योजना: सरकार ने कुछ रोजगारों में बच्चों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करने और कुछ अन्य रोजगारों में बच्चों की कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम १९८६ को प्रवर्तित किया है।

जहां भी संभव हो, बच्चों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रण और अभिसरण के लिए,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अभिसरण पर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि बाल श्रमिकों के परिवारों को उनके उत्थान के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

बाल श्रम के उच्च संकेंद्रण वाले क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों के कल्याण के लिए परियोजनाएँ शुरू करने हेतु परियोजना-आधारित कार्य योजना।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा विधायी नीति अपनाई जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

रोकथाम

- बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६,१८ व्यवसायों और ६५ प्रक्रियाओं में १४ वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है
- अधिनियम की धारा २ में परिकल्पित अधिनियम के प्रावधानों को लागु करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास निहित है।
- भारत संध द्वारा समय-समय पर प्रवर्तन पर नजर रखा जाता है। प्रवर्तन और जागरूकता पैदा करने के लिए भी समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं।

बचाव और प्रत्यावर्तन

- सिएलपीआरए के तहत संचालित निरीक्षण और छापों के दौरान बाल श्रमिकों की पहचान की जाती है, उन्हें बचाया जाता है और प्रवासी बाल श्रमिकों के मामले में, प्रत्यावर्तन के माध्यम से पुनर्वास उपायों को आगे गतिशील किया जाता है, तथा तात्कालिक शिक्षा प्रदान की जाती है जिसका परम उद्देश्य उन्हें शैक्षणिक औपचारिक प्रणाली की मुख्य धारा में जोड़ना है। इसके अलावा बचाए गए बच्चों को पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

बाल श्रम के कारण

- **निर्धनता:** भारत में इस समस्या का सबसे बड़ा कारण निर्धनता है। गरीब परिवारों के बच्चों को प्राय: अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए कार्य करना पड़ता है। वे कारखानों में, कृषि में या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच का अभाव:** भारत में कई बच्चों को अच्छे स्कूलों तक पहुँच नहीं है। जब बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच नहीं होती है, तो उनके स्कूल जाने की बजाय कार्य करने की संभावना अधिक हो जाती है।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का विकास**: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था छोटे व्यवसायों और स्व-रोज़गार करने वाले श्रमिकों से बनी है। असंगठित क्षेत्रो में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन बहुत कम होने या आकस्मिक दुर्घटना के कारण परिवार के बच्चो को बालश्रम को मजबूरन करना पड़ता है।

- **जागरुकता का अभाव**: अधिकाँश माता-पिता इस समस्या के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक दुष्परिणामों से अनभिज्ञ हैं।

- **सशस्त्र संघर्ष:** सशस्त्र संघर्ष बाल श्रम को बढ़ावा दे सकता है। जब युद्ध होता है, तो बच्चों को प्राय: अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए काम पर भेजा जाता है।

- **भेदभाव:** भेदभाव बाल श्रम को बढ़ावा दे सकता है। जब बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच से वंचित किया जाता है।

- **प्रवास:** प्रवास बाल श्रम को बढ़ावा दे सकता है। जब बच्चे अपने परिवारों के साथ नए देशों में जाते हैं, तो वे प्राय: शोषण के शिकार हो सकते हैं।

भारत में बाल श्रम की समस्या का समाधान

भारत में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

1. **विधायी ढांचे को मजबूत बनाना**: बच्चों के लिए व्यापक सुरक्षा और अपराधियों के लिए सख्त दंड सुनिश्चित करने के लिए बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनों को कड़ाई से लागू करना तथा संशोधन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

2. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच:** सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना,

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

ड्रॉपआउट दरों को कम करना और स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना।

3. **निर्धनता उन्मूलन:** निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धनता में जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही माता-पिता के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देकर बाल श्रम के मूल कारणों से निपटा जा सकता हैं।

4. **जागरूकता एवं संवेदनशीलता:** बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास पर बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों के बारे में माता-पिता, समुदायों और नियोक्ताओं को अवगत कराते हुए व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किये जाने चाहिए।

5. **पुनर्वास एवं सामाजिक संरक्षण:** बाल श्रम से निकाले गए बच्चों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और मनोवैज्ञानिक सहायता तक पहुँच सहित व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करने चाहिए। बच्चों को श्रम बल में जाने से रोकने के लिए कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ लागू करनी चाहिए।

6. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** बाल श्रम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विशेषज्ञता, तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और यूनिसेफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय एवं सहयोग करना चाहिए।

7. **स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना:** बाल श्रम को रोकने में माता-पिता, शिक्षकों और समुदाय के नेताओं सहित स्थानीय समुदायों को शामिल करना चाहिए। उन्हें बाल श्रम के मामलों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाना तथा पुनर्वास और पुनर्एकीकरण प्रयासों के लिए सहायता प्रदान करना।

निष्कर्ष

बाल श्रम एक प्रमुख सामाजिक, आर्थिक समस्या है जो बच्चों के शारीरिक-मानसिक क्षमता को प्रभावित करती है। बच्चों के हितों

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

और संरक्षण का मामला भारत के संविधान में निहित है इसके बावजूद बच्चों के अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। भारत का प्रत्येक चौथा बच्चा बालश्रम के चलते स्कूल नहीं जा पाता है। सरकार ने आठवीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया है लेकिन लोगों की गरीबी और बेबसी के आगे यह योजना भी निष्फल साबित होती दिखाई देती है। बच्चों के माता पिता सिर्फ इस वजह से उन्हे स्कूल नहीं भेजते क्योंकि उन्हे स्कूल जाने से परिवार की आमदनी कम हो जायेगी। बच्चे आज भी राजनैतिक, सामाजिक प्राथमिकता में नहीं है। सस्ते श्रमिक के तौर पर उनका इस्तेमाल हो रहा हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 80 लाख बच्चे काम कर रहे हैं, जबकि शहरों में 20 लाख के करीब है, 62.8% बाल मजदूर खतरनाक कार्यों में लगे हुए हैं। 59% बच्चे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बच्चे सस्ता श्रम होते हैं तभी इन्हें ठेकेदार व दुकानदार अपने व्यवसाय में रख लेते हैं। सरकार द्वारा बनाये गये बाल श्रमिक कानूनों के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर लगाना वर्जित है, और इसकी अवहेलना करने पर कार्यवाही की जाती है। बाल श्रमिक कानून का किसी भी व्यवसाय मालिकों द्वारा पालन नहीं किया जाता है। बालश्रम के कारणों में अशिक्षा, निर्धनता, संयुक्त परिवार, वैश्वीकरण, निजीकरण व उपभोक्तावादी संस्कृति आदि हैं। ठोस स्तर की राज्य व राष्ट्रीय नियमों/कानूनों के अभाव के चलते बालश्रम की समस्या बनी हुई है। बाल श्रमिको की संख्या इतनी ज्यादा है कि सरकार द्वारा बनाये गये कानून व प्रयास भी ऊँट के मुंह मे जीरा प्रतीत हो रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

हाय, येन. (2023)। स्कूल के माध्यम से बाल श्रम की रोकथाम में बाल श्रम की पहचान और सामाजिक कार्य गतिविधियाँ। जर्नल ऑफ साइंस सोशल साइंस. 68. 141-152. 10.18173/2354-1067.2023-0015।

भरत, पारीक और धीमान, निधि और रद्दी, सुधा और बिस्ट, लेखा और कौर, कमलजीत और तिवारी, ज्योति और कौर, दलजीत। (2022)। भारत में बाल श्रम में लगे बच्चों का सामाजिक-सांस्कृतिक विमर्श: एक वृहत-नृवंशविज्ञान अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन. 49. 392-397. 10.4103/ijcm.ijcm_982_22.

नंजुंदा, देवजाना। (2010)। भारत में बाल श्रम: एक बहु-विषयक दृष्टिकोण। 31. 263-270.

ली, सियोला और विक्रम, कृति और ली, ह्यो। (2023)। भारत में बाल श्रम के संज्ञानात्मक और कार्यात्मक प्रभाव: शिक्षा की मध्यस्थ भूमिका। उम्र बढ़ने में नवाचार. 7. 957-957. 10.1093/जेरोनी/आईजीएडी104.3076।

सिंह, सविता और शुक्ला, प्रतिमा। (2022)। भारत में बढ़ते बाल श्रम के कारण। अनुसंधान समीक्षा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी। 7. 17-22. 10.31305/rrijm.2022.v07.i11.005.

इंडिको, एथेना और अलीपो-ऑन, एनाबेले और जेनरल, मा। (2023)। बाल श्रम विरोधी कानून के कानूनी प्रावधानों पर सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय के अभिभावकों की जागरूकता: हस्तक्षेप योजना का आधार। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड मैनेजमेंट (आईजेएसआरएम)। 11. 21-47. 10.18535/ijsrm/v11i11.gp01.

अनुरियोहा, इहुओमा। (2021)। बाल श्रम: नाइजीरिया में मानव तस्करी का शोषण। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और नवाचार के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। आठवीं. 2283-2293. 10.47772/आईजेआरआईएसएस.2024.802163।

लाल, डॉ. (2020)। भारत के परिप्रेक्ष्य में बाल श्रम. ज्ञानवर्धक शोध: एक बहुविषयक जर्नल। 2. 1-7. 10.57067/kr.v2i1.199.

खरे, डॉ. (2020)। बाल श्रम की संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन। मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान जर्नल. 1-5. 10.55529/jpps11.1.5.

फॉरेस्ट, जेफरी और फॉरेस्ट, डिलन। (2019)। बाल श्रम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। 10.1007/978-981-99-7939-4_13.

फेनी, साइमन और पोसो, अल्बर्टो और स्काली, अहमद और ज्योतिषी, अमलेंदु और नाथ, श्याम और विश्वनाथन, पी के. (2021)। बाल श्रम और मनोसामाजिक कल्याण:

भारत से निष्कर्ष। स्वास्थ्य अर्थशास्त्र। 30. 10.1002/hec.4224.

हुयेन, गुयेन. (2020)। वियतनाम में बाल श्रम पर आर्थिक मंदी का प्रभाव। लेंटेरा हुकुम. 8. 447. 10.19184/ejlh.v8i3.25506.

हबीब, रीमा और ख़यात, मौसा और घानावी, जोली और कैटरिब, रीम और हनीनी, लायल और हलवानी, दाना। (2019)। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बाल श्रम और संबंधित जोखिम कारक: एक विस्तृत समीक्षा। सार्वजनिक स्वास्थ्य में अग्रणी. 11. 1240988. 10.3389/fpubh.1240988.

सागर, सर्पराज. (2019)। ईंट भट्ठा उद्योगों में बाल श्रमिक: भागलपुर जिले का एक केस अध्ययन। अनुसंधान समीक्षा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी। 8. 10.31305/rrijm.2023.v08.n08.030.